भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय (वित्त)
.....

साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली

विषय: जी एस टी का अनुपालन- रक्षा सेवाओं के मौजूदा अनुबंधों पर प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) के 01 जुलाई, 2017 से लागू होने के परिणामस्वरुप, 01 जुलाई, 2017 से पहले रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों और सेनाओं द्वारा किए गए अनुबंधों के अंतर्गत 30 जून, 2017 के बाद रक्षा बलों को आपूर्ति की गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर करों की उगाही, जी एस टी अधिनियमों और नियमों के अनुसार होगी।

2. **जी एस टी अधिनियमों और नियमों के अनुसार करों को शामिल कराने के लिए ऐसे सभी अनुबंध एतद् द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जाएं। अनुबंधों में पृथक-पृथक संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। करों की सांविधिक उगाही में ऐसे परिवर्तन के कारण अनुबंध के मूल्य में किसी परिवर्तन के लिए, सी एफ ए के नए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।**

3. इसे, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) की सहमति से तथा रक्षा सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस.पी.एस तोमर)
उपवित्तीय सलाहकार (जी एस)
दूरभाष:23012180

वितरण:

सीजीडीए डीजीएडीएस
रक्षा मंत्री का कार्यालय रक्षा राज्य मंत्री का कार्यालय
सीओएएस सीएनएस सीएएस
रक्षा सचिव/सचिव(डीपी)/सचिव रक्षा (अनु.एवं.वि.)/सचिव(ईएसडब्ल्यू)/वित्तीय सलाहकार(रक्षा सेवाएं)
सीआईएससी डीजीएएफएमएस
रक्षा मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय (वित्त) के सभी अपर सचिव
रक्षा मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव र. मं.(वित्त) के सभी संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार
प्रधान सलाहकार (लागत) वित्त प्रबंधक/ सलाहकार (लागत)
एनआईसी सैल रक्षा मंत्रालय- रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के लिए

रक्षा मंत्रालय(वित्त)/ जीएस-।। अ.वि.टि.सं.30(10)/ जीएसस-।।/2017 दिनांक:19.07.2017